Fil 27

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक 4(4) ग्राविं / नरेगा / स्टाफ / 09 जयपुर, दिनांकः– 4 MAR 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर सृजित ग्राम रोजगार सहायक के पदों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक पद ग्राम रोजगार सहायक का संविदा आधार पर सृजित किया गया है। पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकेण्डरी (12वीं) पास निर्धारित है। कुछ जिलों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से कम शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ग्राम रोजगार सहायक के पद पर संविदा आधार पर अनुबंध कर अथवा प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी के माध्यम से नियोजित किया हुआ है। यह कृत्य राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लघंन है। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी ग्राम पंचायत पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से कमतर योग्यता का कार्मिक संविदा आधार पर अथवा प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी के माध्यम से नियोजित है तो उसकी अनुबंध अवधि आगे नहीं बढ़ाई जावें।

योजनान्तर्गत सभी गतिविधियां कम्प्यूटराईज्ड किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत कम्प्यूटराईज्ड End to End Solution के लिए प्रयासरत है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजित ग्राम रोजगार सहायकों को भी कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त हो। अतः समस्त ग्राम रोजगार सहायकों को Rajasthan Knowledge Corporation Ltd. (RKCL) द्वारा संचालित पाठ्यक्रम RSCIT जो कि राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है, सम्पादित कराया जावे। इन संविदा कर्मियों के वेतन को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम में लगने वाली फीस का पुनर्भरण पाठ्यक्रम पूरा करने पर योजना में अनुमत 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय में से कर दिया जावे। यह प्रशिक्षण 6 माह में पूरा करवाया जाना है। इस पाठ्यक्रम में असफल रहने वाले ग्राम रोजगार सहायकों की अनुबंध अवधि आगे नहीं बढ़ाई जावे। ग्राम रोजगार सहायकों का उक्त पाठ्यक्रम सबसे पहले करवाया जावे। यह पूरा होने पर अनुबंध पर कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायकों एवं लेखा सहायकों को भी उक्त पाठ्यक्रम सम्पादित कराया जावे। उक्त कार्मिकों के कम्प्यूटर के कौशल विकास का कार्य चरणबद्ध रूप से सम्पादित किया जावे।

उक्त कार्यवाही निर्धारित समय में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय,
2/3/10
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :– अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (द्वितीय)